विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2017 / 55 दिनांक 31/5/17

प्रति,

प्राचार्य,

क.ऑर्ड. एकेडमी

[illegible] उज्जैन

विषय : विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :– महाविद्यालय का सम्बद्धता आवेदन क्रमांक / 133 / [illegible] / 04.2017

[illegible] संदर्भित विश्वविद्यालय ने नवीन संकाय / [illegible] प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण समिति के प्रपत्र अनुसार का विधानसभा की [illegible] जिसमें निर्धारित किया गया कि के आर.एकेडमी (नवीन) उज्जैन में [illegible] सम्बद्धता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति को सत्र 2017-18 से [illegible] प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम की सम्बद्धता निर्धारित की गई [illegible] के आधार पर निर्णय [illegible]

[illegible] के निर्णय के अनुसार [illegible] निम्न विवरण अनुसार सत्र 2017-2018 से शर्तों के अधीन कार्य [illegible] सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

क्र.	पाठ्यक्रम	संख्या
01.	[illegible] प्रथम वर्ष	100

शर्तें :– 01. [illegible] की स्थायी समिति की [illegible] 27 [illegible] पालन करना सुनिश्चित करें।

02. [illegible] का [illegible] किया जाए।

03. परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत चयन की प्रक्रिया [illegible] एवं [illegible] अनिवार्य [illegible] होगा अन्यथा सम्बद्धता पर पुनः विचार [illegible]

04. महाविद्यालय में पाठ्यक्रम से संबंधित [illegible] करावें।

05. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रमांक 28 के (1) के [illegible] 25,000/- [illegible] हजार [illegible] के संयुक्त नाम से जमाकर [illegible] पालय [illegible] एफ.डी.आर. पूर्ण में [illegible] करें।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति दो माह में आवश्यक [illegible] में पूर्ण करें, अन्यथा सम्बद्धता पर पुनः विचार किया जावेगा।

आदेश नुसार

कुलसचिव

निरंतर...02